फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय भू–अभिलेख एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
हिम्मतराम पुत्र भुदाराम जाति भील निवासी भाटुन्द तह. बाली जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/66

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
03/02/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि ग्राम भाटुन्द के खसरा नंबर 2629/2 रकबा 1.28 हैक्टर की सेग्रीगेशन के दौरान मौका स्थिति के विपरित नक्शें में स्थिति दर्ज की जाने से नक्शें में तरमीम शुद्धि करने के लिये एक आवेदन पत्र तहसीलदार बाली को पेश किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का भाटुन्द द्वारा मौके व रिकार्ड की स्थिति की जांच करते हुये रिपोर्ट तहसीलदार बाली को पेश की गई। तहसीलदार बाली ने पटवारी हल्का भाटुन्द व निरीक्षक भू.अ. बीजापुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने कार्यालय पत्रांक भू. अ/2024/3356 दिनांक 02.01.2025 से प्रकरण इस न्यायालय को अनुशंषा सहित प्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जांच रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से हस्तगत प्रकरण में ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नंबर 2629 में से आवंटनसुदा भूमि है। तथा प्रार्थी उक्त भूमि का मूल आवंटी नही होकर खरीद के माध्यम से खातेदार दर्ज हुआ है। मूल आवंटी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.1998 के पश्चात आदिनांक तक कोई आवेदन पेश नही किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण धारा 136 के तहत परिपोषणीय नही है। इसके साथ ही पटवारी हल्का व निरीक्षक भू. अ. द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के वास्तविक कब्जे से करीब डेढ किलोमीटर की दुरी पर नक्शें में तरमीम का उल्लेख किया है। जो अपने आप में संदेहास्पद है इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा नामांतरकरण सं. 1624 तथा नामांतरकरण सं 364 की प्रति एवं प्रार्थी द्वारा खरीद के पश्चात अपने नाम दर्ज भूमि की नामांतरकरण की प्रतियां पेश नही की गई है। जिससे प्रार्थी का वास्तविक कब्जा 2080, 2081 के पास होना माना जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत नक्शें मे तरमीम शुद्धि खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) 3/2/25 सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	